

मध्यप्रदेश विधान सभा

नून - अगस्त, 1991 सत्र

वैनिक कार्य सूची

गुरुवार, विनांक 1 अगस्त, 1991 (श्रावण 10, 1913)

समय 10.30 बजे

1- प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2- नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण.

(1) श्री रामलखन शर्मा, श्री रमाकान्त तिवारी, डा. गोविन्द सिंह, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम डॉपौरा निवासी तीन व्यक्तियों का डैक्टोर द्वारा अपहरण किये जाने की घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री रघुनाथरामकर भाऊ साहब पोतनीस, पुरन सिंह पलैया, सदस्य, गवालियर स्थित जे.सी. मिल्स द्वारा तालाबन्दी का नोटिस देने से उत्पन्न श्रमिकों में बेरोजगारी की स्थिति की ओर राज्य मंत्री श्रम का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) सर्वश्री ललित जैन, मोतीलाल बोरा, अशोक शुक्ला, सदस्य, इन्दौर जिले के मानपुर धाना क्षेत्र में हुई एक आदिवासी राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) सर्वश्री विष्वामित्रनाथ पाण्डेय, रामलखन शर्मा, सदस्य, रीवा जिले के रायपुर कर्चुलियान तहसील स्थित मेसर्स ओरम इलेक्ट्रिकल्स कारखाने द्वारा की जा रही अवैधानिक गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

3- प्रतिवेदन की प्रस्तुति/स्वीकृति.

(1) श्री चन्द्रशेखर साहू, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का अठारहवां एवं उत्तीर्णवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(2) श्री नन्दकुमार सिंह चौहान, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकर्त्यों संबंधी समिति का वशम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे:-

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के वशम् प्रतिवेदन से सहमत हैं"

4- शासकीय विधि विषयक कार्य.

1 घन्टा श्री बाबूलाल गौर, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे की मध्यप्रदेश समाज के कमज़ोर वर्गों के लिये विधिक सहायता तथा विधिक सताह (संशोधन) विधेयक, 1991 (क्रमांक 18 सन् 1991) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

5- नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा.

1 घन्टा (1) प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में कृषकों को खाद एवं बीज उपलब्ध न हो पाने के संबंध में सर्वश्री शिवराम सिंह चौहान/ राजन्द्र प्रसाद शुक्ल/ नन्द किशोर खत्री/ मदन लाल त्यारी सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

1 घन्टा (2) प्रदेश में बाल श्रमिकों की समस्या के प्रभावी समाधान के संबंध में श्री चन्द्रशेखर साहू, सदस्य की सूची।

6- नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा.

(1) दिनांक 26 जुलाई, 1991 को मूर्ख मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 21 (क्रमांक 1944) के उत्तर से उद्भूत विषय पर सर्वश्री अशोक शुक्ला विष्वामित्रनाथ पाण्डेय, सदस्य चर्चा उठायेंगे।

(2) दिनांक 24 जुलाई, 1991 को विधि मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 1 (क्रमांक 241) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य चर्चा उठायेंगे।